प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्या न्यायाधीश और**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश.

रिट अपील संख्या 265 वर्ष 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश

विचारार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता</u>

मैं सहमत हूं।

<u>सही/-</u>

<u>-मुख्य न्यायाधीश</u>

दिनांक 10/04/2009

को आदेश हेतु सुचिबद्ध

करे

<u>सही/-</u>

<u>सुनील कुमार सिन्हा</u>
<u>न्यायाधीश</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय श्री राजीव गुप्ता,. मुख्या न्यायाधीश और**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय

याचिकाकर्ता बख्तावर, 14वीं मंजिल, 229, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400001 और सीमेंट प्लांट ग्राम अरसमेटा, पी.ओ. गोपाल नगर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में स्थित है।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ कॉलेज के पास, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.)

2.राजस्व मंडल छत्तीसगढ़, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा अध्यक्ष

3. कलेक्टर, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

4. अतिरिक्त तहसीलदार, जांजगीर, जिला जांजगीर- चांपा (छ.ग.)

5. नायब तहसीलदार, जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंडपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2 उपधारा (1) के अंतर्गत रिट अपील)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति:

श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आशीष श्रीवास्तव, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीओं की ओर से उप शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण दास।

आदेश

(10.04.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश

सुनील कुमार सिंहा, न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित किया गया ।

(1) अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू.पी. संख्या 131/2007 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2007 के विरुद्ध यह अपील दायर की है।

(2) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी/याचिकाकर्ता, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत एक कंपनी है। यह अरासमेटा गाँव में स्थित अपनी विनिर्माण इकाई में सीमेंट का निर्माण करती है, जिसे आमतौर पर अरासमेटा सीमेंट प्लांट के नाम से जाना जाता है। जांजगीर-चांपा के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी/याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के अंतर्गत देय विद्युत शुल्क की वसूली हेतु दिनांक 18.10.2005 को एक मांग पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी ने इसे रिट याचिका क्रमांक.6384/2005 में चुनौती दी थी। उक्त याचिका को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 19.12.2005 के आदेश द्वारा ग्राह्यता के स्तर पर खारिज कर दिया था, जिसमें अपीलार्थी को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वतंत्रता प्रदान की गई थी:

> "इस परिस्थिति में, मैं इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तदनुसार, इसे ग्राह्यता के चरण में ही खारिज किया जाता है, तथापि, याचिकाकर्ताओं को संहिता के तहत दिए गए विधायक उपचारों का सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाती है।"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी ने राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) की निर्गमन के विरुद्ध संबंधित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। उक्त आपत्ति को कार्यपालन यंत्री, विद्युत सुरक्षा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक द्वारा उसकी बनाए रखने योग्य न होने के आधार पर विरोध किया गया। कलेक्टर ने आपत्ति की मेरिट पर बिना निर्णय दिए, संक्षेप में यह अवलोकन किया कि चूँकि आरआरसी मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा जारी किया गया है तथा वसूली हेतु उसी के कार्यालय को प्रेषित किया गया है, अतः मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर ही अपीलार्थी की आपत्ति सुनने एवं निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। तदनुसार, अपीलार्थी को निर्देशित किया गया कि वह आरआरसी के निर्गमन के विरुद्ध अपनी आपत्ति मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करे। कलेक्टर ने यह भी आदेशित किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की प्रति मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर को निर्णय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाए। उपरोक्त अवलोकनों के साथ, यह मामला समाप्त कर दिया गया तथा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 20.01.2006 को प्रदान की गई स्थगन समाप्त मानी गई।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कलेक्टर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा राजस्व मंडल के समक्ष अपील क्रमांक 4/ए-74/2005-06 अंतर्गत धारा 44(1)(ङ) छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता, 1959 कहा जाएगा) में चुनौती दी गई थी, लेकिन उक्त अपील को दिनांक 22.11.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इन सबके बाद, अपीलार्थी ने वर्तमान रिट याचिका संख्या 131/2007 दायर की, जिसमें आक्षेपित आदेश दिनांक 31.01.2007 को पारित किया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित शर्तों पर उक्त रिट याचिका का निराकृत कर दिया:

> "उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह विचार है कि याचिकाकर्ता की आपत्ति का निराकरण करने तथा मामले को न्यायनिर्णयन के लिए

मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ को भेजने के आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है, जिसमे लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

परिणामस्वरूप, इस याचिका का निराकरण मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात याचिकाकर्ता की आपत्ति पर शीघ्र निर्णय लें तथा तब तक दिनांक 18.10.2005 के मांग नोटिस/आरआरसी के विरूद्ध वसूली कार्यवाही स्थगित रखी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने, पूर्व रिट याचिका में, संहिता के अंतर्गत प्रदत्त विधिक उपचारों का लाभ उठाने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में, कलेक्टर के समक्ष उपरोक्त आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, कलेक्टर ने गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय देना था और उसे मुख्य विद्युत निरीक्षक के पास निर्णय हेतु नहीं भेजना था । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले को न्यायनिर्णयन हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(4) इसके विपरीत, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण दास ने इन तर्कों का विरोध किया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा रिट अपील के अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

(6) संहिता 1959 का अध्याय 11 भू-राजस्व और उसके बकाया की वसूली से संबंधित है। धारा 145 प्रमाणित लेखा को बकाया और चूककर्ता के संबंध में साक्ष्य मानने से संबंधित है। धारा 145 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि कलेक्टर या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, सरकार को देय बकाया या उसकी राशि और चूककर्ता व्यक्ति का सही विवरण माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। धारा 145 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण तैयार करने से पहले चूककर्ता को कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। धारा 146 मांग की सूचना के बारे में है, जो यह प्रावधान करती है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार धारा 147 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए कोई भी प्रक्रिया जारी करने से पहले किसी भी चूककर्ता पर मांग की सूचना तामील करवा सकता है, जिसमें भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए बलपूर्वक तरीके अपनाने की बात कही गई है।

(7) वर्तमान मामले में, तहसीलदार द्वारा 1959 की संहिता की धारा 146 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध भू-राजस्व के बकाया के रूप में ₹57,86,892/- की राशि दर्शाते हुए माँग पत्र जारी किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क नहीं दिया है कि यह कलेक्टर द्वारा अप्रमाणित राशि थी। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने ऐसी राशि की वसूली के लिए अपनाए गए प्रक्रियात्मक पहलू को चुनौती नहीं दी, बल्कि उनका तर्क था कि अपीलार्थी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा माँगी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और उक्त प्राधिकारी द्वारा दायित्व का निर्धारण पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था। यदि 1959 की संहिता की धारा 146 के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करने के लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कलेक्टर के समक्ष प्रमाणीकरण हेतु राशि निर्धारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा की गई त्रुटियों के कारण दायित्व से इनकार किया गया है, तो त्रुटि सुधार के लिए उपयुक्त मंच वह प्राधिकारी ही होगा जिसने कथित रूप से गलती की है, न कि वह प्राधिकारी जिसने वसूली के उद्देश्य से खाते को भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित किया था। धारा 145 की उपधारा (1) में "जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता" जैसे शब्द स्पष्ट संकेत देते हैं कि धारा 145(1) के तहत अवधारणा एक खंडनीय अवधारणा है और हुई गलती को इसके विपरीत साबित करके उचित न्यायनिर्णयन के बाद ठीक किया जा सकता है। इन्हीं परिस्थितियों में, कलेक्टर ने अपीलार्थी को मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष अपनी आपत्ति रखने और उस संबंध में न्यायनिर्णयन प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिसे अंततः राजस्व मण्डल और विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा। इसके अलावा, कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 26.9.2006 के आदेश की सामग्री से पता चलता है कि कलेक्टर के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने स्वयं तर्क प्रस्तुत किया था कि यदि कलेक्टर की राय थी कि आपत्ति मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष दायर की जानी चाहिए थी, तो उनकी आपत्ति उक्त प्राधिकारी को भेजी जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) पूर्वोक्त कारणों से, जहां तक गुण-दोष का संबंध है, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता नहीं पाते हैं।

(9) यह कहा गया है कि अपीलार्थी कंपनी अभी तक मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। आगे और विलम्ब से बचने के लिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुख्य विद्युत निरीक्षक की आपत्ति पर निर्णय होने तक विद्वान एकल न्यायाधीश ने मांग को स्थगित रखा है और इसके अलावा मांग वर्ष 2005 की है, हम अपीलार्थी को आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर मांग नोटिस/आरआरसी दिनांक 18.10.2005 को स्थगित रखने का आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यदि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षक से संपर्क करता है, तो उक्त प्राधिकारी आपत्ति का यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलार्थी द्वारा उक्त प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, निराकृत करने के लिए बाध्य होगा।

(10) उपरोक्त आदेश में संशोधन के साथ, रिट अपील खारिज की जाती है।

(11) व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>सही/-</u>

मुख्य न्यायाधीश

<u>सही/-</u>

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त

कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur